भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 700
29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

700. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:
श्री मलैयारासन डी. :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की वर्तमान स्थिति क्या है तथा देश में इसके उद्देश्यों की प्राप्ति में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देश में विशेषकर तमिलनाडु में विशेष रूप से ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना के लिए आबंटित और उपयोग की गई कुल निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश के सुदूर/अल्पसुविधायुक्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की पहुंच/गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्षेत्र-वार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) उक्त मिशन के अंतर्गत तमिलनाडु के अरनी निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षित और तैनात स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ताओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या आगामी वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्षेत्र का दायरा बढ़ाने/विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित और हाशिए पर पड़े समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एनएचएम के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के तहत कार्यवाही-अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करती है।

एनएचएम के अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य का विवरण नीचे सूचीबद्ध है:

लक्ष्य (2021-26 के लिए एनएचएम विस्तार के अनुसार)	स्थिति	
मातृ मृत्यु दर को घटाकर 87 प्रति 1 लाख करना	प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 97 (एसआरएस 2018-20)	प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 113 (एसआरएस 2016-18)
शिशु मृत्यु दर को घटाकर 22 प्रति हजार किया जाए	28 प्रति हजार (एसआरएस 2020)	32 प्रति हजार (एसआरएस 2018)
राष्ट्रीय स्तर पर टीएफआर को 2.0 तक बनाए रखना	2.0 (एनएफएचएस 5)	2.2 (एनएफएचएस 4)
1.5 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर (तत्कालीन एबी-एचडब्ल्यूसी) के संचालन का लक्ष्य हासिल करना।	1,74,966 (31.10.2024 की स्थिति के अनुसार)	80,348 (26.11.2021 की स्थिति के अनुसार)

एनआरएचएम के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर संलग्न है।

(ग): एनएचएम के तहत भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों में मौजूदा उप केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में परिवर्तन करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर (पूर्ववर्ती आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र) का संचालन अनुबंध के आधार पर स्वास्थ्य मानव संसाधन को नियुक्त करने के लिए सहयोग, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट, आशा, बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना, 24 x 7 सेवाएं और प्रथम रेफरल सुविधाएं, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों का कार्यान्वयन और संबंधित गतिविधियां, लक्ष्य प्रमाणन, बायोमेडिकल उपकरण रखरखाव और प्रबंधन कार्यक्रम, नि:शुल्क नैदानिक सेवा पहल और नि:शुल्क औषधि सेवा पहल शामिल हैं। इसके अलावा, मिशन परिवार

विकास, किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक, साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण (डब्ल्यूआईएफएस), मासिक धर्म स्वच्छता योजना, सुविधा केंद्र आधारित नवजात शिशु परिचर्या (एफबीएनसी), घर आधारित नवजात शिशु परिचर्या कार्यक्रम, सामाजिक जागरूकता और निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए कार्रवाई (एसएएएनएस), छोटे बच्चों के लिए घर आधारित परिचर्या (एचबीवाईसी), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), प्रारंभिक बचपन में विकास (ईसीडी), व्यापक गर्भपात परिचर्या (सीएसी), एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति, पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) कार्यक्रम जैसी पहलों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए सहयोग दिया जाता है। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए भी सहयोग प्रदान किया जाता है।

(घ) और (ङ): एनएचएम के अंतर्गत देश भर में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या, तमिलनाडु के अरानी निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार **अनुलग्नक II** में दी गई है।

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निर्गत और व्यय

(करोड़ रु.में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2023-24	
		केंद्रीय निर्गत	व्यय
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	37.84	40.71
2	आंध्र प्रदेश	1,096.01	2,436.62
3	अरुणाचल प्रदेश	404.55	399.44
4	असम	2,257.06	2,626.87
5	बिहार	2,032.95	4,010.97
6	चंडीगढ़	30.58	31.85
7	छत्तीसगढ़	875.80	1,743.79
8	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	39.92	41.96
9	दिल्ली	150.54	338.41
10	गोवा	48.97	82.44
11	गुजरात	1,506.96	3,672.25
12	हरियाणा	524.01	998.80
13	हिमाचल प्रदेश	470.36	700.67
14	जम्मू एवं कश्मीर	805.22	956.95
15	झारखंड	958.06	1,968.70
16	कर्नाटक	1,187.60	2,272.27
17	केरल	189.15	1,069.42
18	लद्दाख	120.44	119.67
19	लक्षद्वीप	3.79	7.10
20	मध्य प्रदेश	2,545.68	5,079.18
21	महाराष्ट्र	2,729.30	5,001.70
22	मणिपुर	169.12	159.32
23	मेघालय	261.39	305.83
24	मिजोरम	134.42	148.29
25	नगालैंड	184.84	196.69
26	ओडिशा	1,901.77	2,868.83

27	पुदुचेरी	30.80	45.74
28	पंजाब	91.49	1,201.21
29	राजस्थान	2,785.46	4,350.63
30	सिक्किम	68.17	55.69
31	तमिलनाडु	1,996.06	2,957.57
32	तेलंगाना	564.93	1,001.75
33	त्रिपुरा	264.31	277.62
34	उत्तर प्रदेश	4,928.14	9,044.22
35	उत्तराखंड	711.33	709.79
36	पश्चिम बंगाल	890.42	2,817.75

टिप्पण:

1. केन्द्रीय आबंटन मूल परिव्यय/बजट अनुमान के अनुसार है।

2. उपरोक्त निधि केंद्र सरकार के अनुदान से संबंधित हैं और इसमें राज्य का हिस्सा शामिल नहीं है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय निधि 13.11.2024 तक अद्यतन है और अनंतिम है।

3. व्यय में केंद्रीय निर्गत, राज्य निर्गत और वर्ष की शुरुआत में अव्ययित शेष राशि के सापेक्ष व्यय शामिल है। व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत एफएमआर के अनुसार है और अनंतिम है।

अनुलग्नक-II

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मानव संसाधन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विशेषज्ञ	जीडीएमओ	आयुष चिकित्सक	स्टाफ नर्स	एएनएम	सहबद्ध और स्वास्थ्य परिचर्या कार्यकर्ता
1	बिहार	127	84	402	1742	9812	4418
2	छत्तीसगढ़	119	372	621	2416	2924	967
3	हिमाचल प्रदेश	4	1	253	333	183	285
4	जम्मू एवं कश्मीर	120	463	862	1799	3520	3428
5	झारखंड	194	299	405	902	5135	920
6	मध्य प्रदेश	351	2065	1190	4460	6883	14616
7	ओडिशा	2	217	2174	615	1120	1227
8	राजस्थान	17	332	423	2574	1236	939
9	उत्तर प्रदेश	210	782	4018	11434	8166	5106
10	उत्तराखंड	45	71	356	740	705	2685
11	अरुणाचल प्रदेश	15	9	116	943	388	487
12	असम	231	1054	710	4867	4571	4982
13	मणिपुर	0	64	167	274	570	436
14	मेघालय	9	42	235	381	532	295
15	मिजोरम	10	49	61	368	376	420
16	नगालैंड	9	42	43	313	332	227
17	सिक्किम	3	51	11	71	104	115
18	त्रिपुरा	5	12	211	26	23	148
19	आंध्र प्रदेश	264	820	99	3146	5271	3841
20	गोवा	18	15	80	61	122	166
21	गुजरात	172	196	2728	1681	2049	1686
22	हरियाणा	112	400	635	2436	3935	1419
23	कर्नाटक	616	878	1464	7762	1801	3420

24	केरल	119	1128	742	1852	1328	2434
25	महाराष्ट्र	687	1332	2857	7175	9169	6830
26	पंजाब	60	509	525	1117	1571	939
27	तमिलनाडु	936	4053	452	15037	2054	14691
28	तेलंगाना	698	377	749	4661	4873	1395
29	पश्चिम बंगाल	19	1265	1770	1062	9355	6644
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	34	33	69	90	131
31	चंडीगढ़	11	46	26	67	262	98
32	दादरा व नगर हवेली/दमन और दीव	13	10	20	105	136	183
33	दिल्ली	18	247	0	153	654	418
34	लद्दाख	22	85	50	116	352	702
35	लक्षद्वीप	2	9	0	42	33	123
36	पुदुच्चेरी	8	72	44	90	98	82
कुल		**5246**	**17485**	**24532**	**80890**	**89733**	**86903**

******